प्रेषक,

निदेशक, पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश।

आवंटन
अनुदान संख्या–83 (आयोजनागत)
लेखाशीर्षक–4515007890524

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

संख्याः 1/शा0/106/2014–1/82/2014 लखनऊः दिनांक 11 दिसम्बर, 2014

विषयः **वर्ष 2008–09 में चयनित डॉ0 अम्बेडकर ग्राम–फतेहपुर रामपुर एवं ग्राम–तुसयाना में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन/पक्की नाली निर्माण से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–83 (स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान) आयोजनागत मद में रू0–38.53 लाख की धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अनु सचिव उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–यू0ओ0–116/33–3–2014 दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वर्ष 2008–09 में चयनित डॉ0 अम्बेडकर ग्राम–फतेहपुर रामपुर एवं ग्राम–तुसयाना में सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन/पक्की नाली निर्माण से सम्बन्धित अतिरिक्त कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में अनुदान संख्या–83 (स्पेशल कम्पोनेन्ट सब प्लान) आयोजनागत मद में रू0–38.53 लाख (रूपया अड़तीस लाख तिरपन हजार मात्र) की धनराशि को निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जाती हैः–

1– उक्त आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग स्वीकृत प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय/उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा।

3– उपरोक्तानुसार आवंटित धनराशि को राजकोष से आहरित कर प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायेगें। अधिष्ठान व्यय की धनराशि को परियोजना पर डेबिट करके लोक निर्माण विभाग द्वारा लेखा शीर्ष "1054–सड़क तथा सेतु–800–अन्य प्राप्तियॉ–01–प्रतिशत्ता प्रभारों की वसूली" में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा केडिट किया जायेगा।

4– उपरोक्त के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नही देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

5– उक्त मदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014–15 के अनुदान संख्या–83 के **लेखाशीर्षक "4515–अन्य ग्राम विकास कार्यकमों पर पूंजीगत परिव्यय–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–05–समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन तथा इण्टरलाकिंग की व्यवस्था–24–वृहत् निर्माण कार्य"** के नामें डाला जायगा।

6– आवंटित की जा रही उक्त धनराशि का व्यय योजना आयोग, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 के लिए निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

7– सी0सी0रोड एवं के0सी0ड्रेन के निर्माण के सम्बन्ध में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये निर्देशानुसार ही प्रश्नगत धनराशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

8– शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–सीए–934/दस–2008–मित–1/2007 दिनांक 02–09–2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

कृ0पृ0उ0

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2014-2015
आवंटन दिनांक-11/12/2014

प्रेषण संख्या:- 1-sha-106-2014-1-82-2014

आवंटन आदेश संख्या:- 006-82-2014

अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)(वित्तीय वर्ष 2014-2015 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय(आयोजनागत-मतदेय)

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

05 - समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत सी0सी0रोड एवं के0सी0

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		24-वृहत् निर्माण कार्य	योग
1	गौतमबुद्ध नगर-2281-जिला पंचायत राज अधिकारी , --01-	वर्तमान प्रगामी	3853000 6775200	3853000 6775200
	योग	वर्तमान प्रगामी	3853000 6775200	3853000 6775200

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया अड़तीस लाख तिरेपन हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सरसठ लाख पचहत्तर हजार दो सौ

(महेन्द्र नारायण)
मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी